



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3991] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 11, 2019/अग्रहायण 20, 1941

No. 3991] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 11, 2019/AGRAHAYANA 20, 1941

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4442(अ).—अधिसूचना का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना को अंतर्विष्ट करने वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव देने का इच्छुक है, वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए अपनी आपत्ति या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 को या ई-मेल esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकता है।

प्रारूप अधिसूचना

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और जलपाईगुडी जिलों में स्थित है, जो विभिन्न प्रजातियों युक्त चाय बागानों और ग्रामों से सटे वन और नदियों के पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता है। अभयारण्य का क्षेत्रफल 161.17 वर्ग किलोमीटर है जिसमें गौर (*बोस गोरस*) की प्रजातियों का वास है और यह तीस्ता और मेची नदी के बीच उत्तर बंगाल में जंगली हाथियों की संख्या को बनाए रखने के लिए एक गलियारे के रूप में भी कार्य करता है;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की एक विशेषता यह भी है कि यह हाथियों के आवागमन का रास्ता है। मॉनसून और सर्दियों में, अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के प्रवासी हाथी आश्रय लेते हैं और यहां रॉयल बंगाल बाघ भी देखे गए हैं। यह क्षेत्र गौर, चीतल (चित्तीदार हिरण), मुंजक, सूअर, साल, सांभर, रीसस बंदर, हिमालयम काला भालू, लेस्सर बिल्ली की कई प्रजातियां जैसे फिशिंग कैट और जंगली बिल्ली, हिमालयन काला भालू, तेंदुआ सहित क्लाउडेड तेंदुआ, और कई अन्य छोटे पशु जैसे रेयर माउंटेन गोट (सेराव), आदि के लिए भी प्रसिद्ध है;

और, वन्यजीव अभयारण्य की महत्वपूर्ण वनस्पति अकेशिया औरकुलिफोरमिस (आकाशमोनी), एल्विजिया फल्कटारिया (सिरीश), एक्रोकार्पस फ्रैक्सिनिफोलियस (मैंडेन), एडिना कॉर्डिफोलिया (हल्दू), एलियान्थस एकसेलसा (महानीम), एज़ादिराक्टा इंडिका (नीम), एन्थोसेफालस कैडम्बा (कदम), आरटोकार्पस चपलाशा (चपलाशा/वन कथाल), अमुरा रिहिट्टका (लहासुने), विस्चोफ्रिया जवनिका (किंजल/यूरियम), बोम्बाक्स सीडबा (सिमुल), बेतुला सिलिंड्रोस्टाच्या (बिर्चा/औल सउर), कैरीया आर्बोरिया (कुम्भी), डेलबर्गिया लैटिफोलिया (सेटिसाल/सतसायेर), एरीश्रिना अर्बोरसेन्स (फालेडो), एलाओकार्पस स्फेरिकस (रुद्राक्ष), सेसबानिया ग्रैंडफ्लोरा (बाक फूल), शोरिया रोबुस्टा (साल, सखुआ), स्वीटेनिया फेबरिफुगा (क्लोरोटी), टेट्राडियम फ्राक्सिनिफोलियम (खानाकपा), तोना सिलियाटा (तुनी/तुन), तालौमे होदगसोमी (भालु काठ), उलमस लैसिफोलिया (पिपली -औल), वबेरनन एरुबेसेन्स (आश्रय), वलसुरा तबूलाटा (फलामे), ज़िलिया डोलब्रिफोर्मिस (लोहाकाट), ज़िज़िफस मौरिटिआना (कुल), आदि हैं;

और, वन्यजीव अभयारण्य की प्रमुख जीवजंतु हैं जिसमें स्तनधारियों जैसे सिक्किम लार्ज-क्लावड श्रेव (सोरिकुलस माइग्रेसेंस माइग्रेसेन्स ग्रे), हॉजसन ब्राउन-टूथेड श्रेव (सिरुसीकस कॉर्डेटिस कॉर्डेटस हॉर्सफ्रील्ड), इंडियन लॉंग-टेलड श्रेव (सोरिकुलस लीसॉप्स हॉर्सफ्रील्ड), हिमालयन वाटर श्रेव (चिम्मरोगले प्लेटिसेफाला हिमालयिकल ग्रे), फुलोवर फ्रूट बैट (रोसेटस लेचेन्सुलटी लेचेलौलटिया), डेमर्स फ्लाइंग फॉक्स (टेरोपस जिगैंटिस), डॉबसन ट्यूब नोज्ड बैट (मुरीना साइक्लोटिस साइक्लोटिस, डॉबसन), हिमालयन हेयर-विंग्ड बैट (हैरिओफालस हरपिया लासयुरोस, हॉडगसन), असमिया मैककॉनसन), असामेसे मैकाके (मैयाये असामेंसिस पेलोप्स, हॉडगसन), रिसस मंकी (मैकाया मुलाटा), छोटे भारतीय गंधबिलाव (विवरिकुला इंडिका), टोडू बिल्ली (परडोससुरस हेमैफ्रोडाइट्स), मुंजक (मुंटियास मुंतजैक वैजिनलिस; बोडुई), बाघ (पेंथेरा टाइग्रिस), तेंदुआ (पेंथेरा पार्डस), गौर (रिबोस फ्रंटेरस गोरस), हिमालयन काला भालू (सेलेनारक्टोस थिबेटानस), सामान्य ऊदबिलाव (लुट्रा लुट्रा), हाथी (एलिफस इंडिस), चित्तीदार हिरण (एक्सिस एक्सिस एक्सिस; एलेंबेन), सांभर (रुसा यूनिकोलर), सीरो (कॉप्रिकोर्नेस सुमाट्रेंसिस थार, हॉजसन), सुअर (सुस स्क्रोफा; लिन्नियस), साल (मेनीस पेंटाक्टेक्टाइला; लिन्नियस); भारतीय या ब्लैक लेण्ड खरगोश (लेपस नाइग्रिकोलिस रुफिकाइटस; जियोफ्रॉय), लेसर गोअंट फ्लाइंग गिलहरी (पेटौरिस्टा एलिगेंस कैनिफर्स, ग्रे), आदि शामिल हैं;

और, अभयारण्य से पक्षी प्रजातियां ब्लैक-अरेस्टेड बाजा (अविदेदा लेउफोटेस सीयामा), वेस्टर्न कोआशवेक (एक्सीपीटर बैजियस स्केडोवाल), बेस्टा स्पैरो हॉक (एक्सीपीटर विगैंटस एफिनिस), हिमालयन हॉक-ईगल (स्पाइसिटस निपलेंसिस निपलेंसिस), ब्लॉक या किंग वलचर (टोरगोस कैलवस), हिमालयन फैलकोनेट (निक्रोहिएरा-एक्स कैरुलेसेंस कैरुलेसेंस), हिमालयन केस्टरेल (फाल्को टिनिनकुलस इंटरस्टिक्टेनस), ब्लॉसम-हेडेड पैराकेट (सिटकुला साइनोसेफाला बैंगलेंसिस), हॉडगसन हॉक-कुको (कुकुलस फैगेक्स निसिकोलोर), हिमालयन कूक्को (कुकुलस सैंटुरेटस सैंटुरेटस), टावनी फिश उल्लू (बुबो फ्लैवाइप), कोलार्ड पिगमी ओवलेट (ग्लौसिडियम ब्रोडिई ब्रोडिई), हिमालयन बरेंड ओवलेट (ग्लौसिडियम क्युकोलाइडस क्युकोलाइडस), हिमालयन ब्राउन वुड उल्लू (स्ट्रीक्स लेपटोगरा नेवारेंसिस), हिमालयन जंगल नाइटजर (कैपरीमुलगुस इंडिकस हैज़ारैक), ब्रॉड-वील्ड रोलर (इबरुस्टोमस ओरियालिस स्यानोलिस), व्हाइट-ब्रेस्टेड किंगफिशर (हैल्क्योन स्माइनेसिस स्मरेंसिस), ब्लू नेण्ड पिट्टा (पिट्टा निपलेंसिस), ग्रीन ब्रेस्टेड पिट्टा (पिट्टा सोरडिका कुकुलाटा), रूफस शॉर्ट-टो (कालेंड्रेला सिनेरिया डुकनेसिस), सिक्किम लॉंग-टेलड मिनिवेट (पेरीक्रोकुटस इथोलौस लैटेटस), स्कारलेट मिनिवेट (पेरीक्रोकुटस फ्लेमियस स्पीसीओस), ब्राउन बैकड पाइड फ्लार्डकैचर श्रीक (हेमिपस पिकाटस कैपिटलिस), ब्लैक क्रस्टेड येलो

बुलबुल (पाइकोनस मेलान्टिकेरस फ्लेविवेंट्रिस), ब्राउन डिपर (सिनक्लस पेल्सी टेनुइरोस्ट्रिस), रस्टी बेलिड शॉर्टविंग (ब्रांचुएट्रीज हाइपरथायरस), नेपाल शॉर्टविंग (ब्रेचुपेरिक्स ल्यूकोफ्रीस नेपालेंसिस), परपल ग्रश (कोचोआ परपिरेया), ग्रीन ग्रश (कोचोआ विरिदिस), असम रेड-फ्रंटेड बब्बलर (स्टैचाइरिस रूफफ्रॉन एंबिगुआ), रेड-हेडेड बब्बलर (स्टैचाइरिस रूफिसेपस रूफिसेप्स), रूफस बेलिड नीलवा (नेल्टवा सुंदरा सुंदरा), पेल ब्लू फ्लाइकैचर (नील्टावा यूनिकोलर यूनिकोलर), ब्लू थ्रोटेड फ्लाईकैटर (नील्टावा रूबेकुलोईडेस रूबेकुलोईडेस), आदि अभिलिखित की गई हैं;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य में रंगीन पंखों वाली प्रजातियों की बृहत् संख्या का भी वास है, जिसमें लुप्तप्राय प्रजातियां जैसे फेयरी-ब्लूबर्ड और हिमालयन पाइड हार्नबिल शामिल हैं। महानंदा वन्यजीव अभयारण्य वनस्पति और जीवजंतु जैव विविधता के प्रभावी संरक्षण और सुरक्षा के लिए विभिन्न मानव जनित दबावों की सीमा को नियंत्रित किया जाना चाहिए क्योंकि इस नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र के साथ निकटवर्ती क्षेत्र पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील हैं जो इस संरक्षित क्षेत्र पर काफी प्रभाव डालते हैं;

और, महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पारिस्थितिकी और पर्यावरणीय की दृष्टि से पारिस्थितिकी संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों की श्रेणियों के प्रचालन तथा प्रसंस्करण को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् पर्यावरण अधिनियम कहा गया है) की उपधारा (1) तथा धारा 3 की उपधारा (2) एवं उपधारा (3) के खंड (v) और खंड (xiv) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पश्चिम बंगाल राज्य के दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिले के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर तक विस्तारित क्षेत्र को पारिस्थितिकी-संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिकी संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :-

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और सीमा.**-(1) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 5 किलोमीटर की दूरी तक है और पारिस्थितिकी संवेदी जोन का क्षेत्रफल 405.28 वर्ग किलोमीटर है।
- (2) महानंदा वन्यजीव अभयारण्य और इसके पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध-I** के रूप में संलग्न है।
- (3) सीमा विवरण और अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के महानंदा वन्यजीव अभयारण्य का मानचित्र **उपाबंध-IIक, उपाबंध- IIख, उपाबंध- IIग और उपाबंध- IIघ** के रूप में संलग्न है।
- (4) पारिस्थितिकी संवेदी जोन और महानंदा वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के भू-निर्देशांकों की सूची **उपाबंध-III** के सारणी **क** और सारणी **ख** में दी गई है।
- (5) मुख्य बिंदुओं के भू-निर्देशांकों के साथ पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची **उपाबंध-IV** के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना.-(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में दिए गए अनुबंधों का पालन करते हुए, राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदनार्थ एक आंचलिक महायोजना बनायेगी।

- (2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रीति से तथा प्रासंगिक केन्द्रीय और राज्य विधियों के अनुरूप तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों, यदि कोई हों, के अनुसार बनायी जाएगी।

- (3) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी सरोकारों को शामिल करने के लिए इसे राज्य सरकार के निम्नलिखित विभागों के परामर्श से बनाया जाएगा, अर्थात्:-
- (i) पर्यावरण;
 - (ii) वन और वन्यजीव;
 - (iii) कृषि;
 - (iv) राजस्व;
 - (v) शहरी विकास;
 - (vi) पर्यटन;
 - (vii) ग्रामीण विकास;
 - (viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;
 - (ix) नगरपालिका;
 - (x) पंचायती राज;
 - (xi) लोक निर्माण विभाग;
 - (xii) पश्चिम बंगाल पुलिस;
 - (xiii) ग्रामीण प्रबंधन और विकास; और
 - (xiv) आपदा प्रबंधन ।
- (4) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, आंचलिक महायोजना में वर्तमान में अनुमोदित भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा तथा आंचलिक महायोजना में सभी अवसंरचनाओं और क्रियाकलापों में सुधार करके उन्हें अधिक दक्ष और पारिस्थितिकी-अनुकूल बनाने की व्यवस्था की जाएगी।
- (5) आंचलिक महायोजना में वनरहित और अवक्रमित क्षेत्रों के सुधार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भू-जल के प्रबंधन, मृदा और नमी के संरक्षण, स्थानीय जनता की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण के ऐसे अन्य पहलुओं की व्यवस्था की जाएगी जिन पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है।
- (6) आंचलिक महायोजना में सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों एवं शहरी बस्तियों, वनों की श्रेणियों एवं किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, उद्यानों एवं उद्यानों की तरह के हरित क्षेत्रों, बागवानी क्षेत्रों, बगीचों, झीलों और अन्य जल निकायों की सीमा का सहायक मानचित्र के साथ निर्धारण किया जाएगा। महायोजना में प्रस्तावित और विद्यमान भू-उपयोग की विशेषताओं का ब्यौरा भी सहायक मानचित्र द्वारा दिया जाएगा।
- (7) आंचलिक महायोजना में पारिस्थितिकी संवेदी जोन में होने वाले विकास का विनियमन किया जाएगा और पैरा 4 की सारणी में यथासूचीबद्ध प्रतिषिद्ध एवं विनियमित क्रियाकलापों का पालन किया जाएगा। इसमें स्थानीय जनता की आजीविका की सुरक्षा के लिए पारिस्थितिकी-अनुकूल विकास का भी सुनिश्चय एवं संवर्धन किया जाएगा।
- (8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना की सह-कालिक होगी ।
- (9) अनुमोदित आंचलिक महायोजना निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज होगी ताकि वह इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार निगरानी के अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय.-** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:-

(1) **भू-उपयोग.-** (क) पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वनों, बागवानी क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, मनोरंजन के लिए चिन्हित उद्यानों और खुले स्थानों का वृहद वाणिज्यिक या आवासीय परिसरों या औद्योगिक क्रियाकलापों के लिए प्रयोग या संपरिवर्तन अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:

परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भाग (क), में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए कृषि और अन्य भूमि का संपरिवर्तन, निगरानी समिति की सिफारिश पर और सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम तथा यथा लागू केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों के अधीन तथा इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुसार स्थानीय निवासियों की निम्नलिखित आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योग एवं ग्राम उद्योग; पारिस्थितिकी पर्यटन में सहायक सुविधा भण्डार, स्थानीय सुविधाएं तथा ग्रह वास;

(v) पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाएं जैसे होम स्टे, रोपवे, कियोस्क, फिक्च्युलर आदि;

(vi) सुरक्षा बल शिविर; और

(vii) बढ़ावा दिए गए पैराग्राफ 4 में उल्लिखित क्रियाकलाप:

परंतु यह भी कि क्षेत्रीय शहरी नियोजन अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के बिना तथा राज्य सरकार के अन्य नियमों एवं विनियमों एवं संविधान के अनुच्छेद 244 के उपबंधों तथा तत्समय प्रवृत्त विधि, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी आता है, का अनुपालन किए बिना वाणिज्यिक या औद्योगिक विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का प्रयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाली भूमि के अभिलेखों में हुई किसी त्रुटि को, निगरानी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात्, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार सुधारा जाएगा और उक्त त्रुटि को सुधारने की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को दी जाएगी:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त त्रुटि को सुधारने में, इस उप-पैरा में यथा उपबंधित के सिवाय, किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन शामिल नहीं होगा।

(ख) अनुप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुनः वनीकरण तथा पर्यावासों और जैव-विविधता की बहाली के प्रयास किए जाएंगे।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत.-** आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और आंचलिक महायोजना में उनके संरक्षण और बहाली की योजना सम्मिलित की जाएगी और राज्य सरकार द्वारा जल आवाह प्रबंधन योजना इस रीति से बनाई जाएगी कि उसमें आवाह क्षेत्रों में विकास क्रियाकलापों को प्रतिषिद्ध और निर्बंधित किया गया हो।

- (3) **पर्यटन या पारिस्थितिकी पर्यटन.**— (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी नए पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलाप या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिकी संवेदी जोन सम्बंधी पर्यटन महायोजना के अनुसार अनुज्ञात होगा।
- (ख) पारिस्थितिकी पर्यटन महायोजना राज्य सरकार के पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से पर्यटन विभाग द्वारा बनायी जाएगी।
- (ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना का घटक होगी।
- (घ) पर्यटन महायोजना पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के आधार पर तैयार की जायेगी;
- (ङ) पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नानुसार विनियमित किए जाएंगे, अर्थात् :-
- (i) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी होटल या रिजॉर्ट का नया सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा:
- तथापि, पारिस्थितिकी-पर्यटन सुविधाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से 1 किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक पूर्व परिभाषित और अभीहित क्षेत्रों में पर्यटन महायोजना के अनुसार, नए होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात होगी;
- (ii) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अन्दर सभी नए पर्यटन क्रिया-कलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार, केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों तथा पारिस्थितिकी पर्यटन, पारिस्थितिकी-शिक्षा और पारिस्थितिकी-विकास पर बल देने वाले राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण द्वारा जारी पारिस्थितिकी पर्यटन संबंधी दिशानिर्देशों (समय-समय पर यथा संशोधित) के अनुसार होगा;
- (iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन होने तक, पर्यटन के विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल-विशिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश के आधार पर संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए होटल, रिसोर्ट या वाणिज्यिक प्रतिष्ठान का सन्निर्माण अनुज्ञात नहीं होगा।
- (4) **प्राकृतिक विरासत.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले बहुमूल्य प्राकृतिक विरासत के सभी स्थलों जैसे कि जीन पूल रिजर्व क्षेत्र, शैल संरचना, जल प्रपात, झरने, दर्रे, उपवन, गुफाएं, स्थल, वनपथ, रोहण मार्ग, उत्प्रपात आदि की पहचान की जाएगी और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (5) **मानव निर्मित विरासत स्थल.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, कलाकृति-क्षेत्रों तथा ऐतिहासिक, स्थापत्य संबन्धी, सौंदर्यात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण के लिए आंचलिक महायोजना के भाग के रूप में एक विरासत संरक्षण योजना बनायी जाएगी।
- (6) **ध्वनि प्रदूषण.**— पर्यावरण अधिनियम के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 में नियत उपबंधों के अनुसार में पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए विनियमों को कार्यान्वित करेगा।
- (7) **वायु प्रदूषण.**— पारिस्थितिकी-संवेदी जोन में वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार किया जाएगा।
- (8) **बहिस्त्राव का निस्सारण.**— पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्त्राव का निस्सारण साधारणों मानकों के अन्तर्गत पर्यावरण अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन आने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण के निस्सारण के लिए साधारण मानकों या राज्य सरकार द्वारा नियत मानकों जो भी अधिक कठोर हो के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट-** ठोस अपशिष्ट का निपटान एवं प्रबन्धन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का निपटान और प्रबंधन भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), दिनांक 8 अप्रैल, 2016 के तहत प्रकाशित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा; अकार्बनिक पदार्थों का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन से बाहर चिन्हित किए गए स्थानों पर पर्यावरण-अनुकूल रीति से किया जाएगा;
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(10) **जैव चिकित्सा अपशिष्ट-** जैव चिकित्सा अपशिष्ट का प्रबंधन निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।
- (ख) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में मान्य प्रौद्योगिकियों (ईएसएम) का प्रयोग करते हुए विद्यमान नियमों और विनियमों के अनुरूप ठोस अपशिष्ट का सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल प्रबंधन अनुज्ञात किया जायेगा।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं.सा.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई-अपशिष्ट-** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ई-अपशिष्ट का प्रबंधन, भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित तथा समय-समय पर यथा संशोधित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **सड़क-यातायात-** सड़क-यातायात को पर्यावास-अनुकूल तरीके से विनियमित किया जाएगा और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध शामिल किए जाएंगे। आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित होने तक, निगरानी समिति प्रासंगिक अधिनियमों और उनके तहत बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अनुसार सड़क-यातायात के अनुपालन की निगरानी करेगी।

(15) **वाहन जनित प्रदूषण-** वाहन जनित प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण लागू विधियों के अनुसार किया जाएगा। स्वच्छतर ईंधन के प्रयोग के प्रयास किए जाएंगे।

(16) **औद्योगिक ईकाइयां-** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को या उसके बाद पारिस्थितिकी संवेदी जोन में किसी नए प्रदूषणकारी उद्योग की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी।

(ii) जब तक इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा फरवरी, 2016 में जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना अनुज्ञात होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों का संरक्षण.-** पहाड़ी ढलानों का संरक्षण निम्नानुसार किया जाएगा:-

- (क) आंचलिक महायोजना में पहाड़ी ढलानों के उन क्षेत्रों को दर्शाया जाएगा जिनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी;
- (ख) जिन ढलानों या विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों में अत्यधिक भू-क्षरण होता है उनमें किसी भी संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची.- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप, पर्यावरण अधिनियम के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन अधिसूचना, 2011 एवं पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006 सहित उसके अधीन बने नियमों और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) सहित अन्य लागू नियमों तथा उनमें किए गए संशोधनों के अनुसार शासित होंगे और नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट रीति से विनियमित होंगे, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप		
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और क्रशिंग इकाईयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और तोड़ने की इकाईयों को व्यक्तिगत उपभोग के लिए घरों के सन्ननिर्माण या मरम्मत के लिए और भूमि को खोदने या घरों या अन्य क्रियाकलापों के लिए देसी टाइल्स या ईंटों के निर्माण के प्रतिनिर्देश से स्थानीय निवासियों के वास्तविक घरेलू आवश्यकताओं के सिवाए प्रतिषिद्ध किया जाएगा;
		(ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गोदाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के आदेश के अनुसरण में किया जायेगा।
2.	प्रदूषण (जल, वायु, मृदा, ध्वनि आदि) उत्पन्न करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन में कोई नया उद्योग लगाने और वर्तमान प्रदूषणकारी उद्योगों का विस्तार करने की अनुमति नहीं होगी: जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो, पारिस्थितिकी संवेदी जोन में फरवरी, 2016 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में किए गए उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार केवल गैर-प्रदूषणकारी उद्योगों की स्थापना होगी। इसके अतिरिक्त, गैर-प्रदूषणकारी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
3.	जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थ का प्रयोग या उत्पादन या प्रसंकरण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित बहिस्त्रावों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
6.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
7.	ईट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	पॉलिथीन बैग का उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
9.	पर्यटन से संबंधित अन्य क्रियाकलाप जैसे कि अभयारण्य क्षेत्र के ऊपर से गर्म वायु के गुब्बारे उड़ाना, आदि।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
10.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
11.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
12.	होटलों और रिजॉर्टों की वाणिज्यिक स्थापना।	<p>पारिस्थितिकी पर्यटन क्रियाकलापों हेतु लघु अस्थायी संरचनाओं के निर्माण को छोड़कर संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, नए वाणिज्यिक होटलों और रिजॉर्ट की स्थापना अनुज्ञात नहीं होगी:</p> <p>परंतु, संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के बाहर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, सभी नए पर्यटन क्रियाकलाप करने या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और लागू दिशानिर्देशों के अनुसार अनुज्ञात होगी।</p>
13.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	<p>(क) संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर या पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक, इनमें जो भी अधिक निकट हो, किसी भी नये वाणिज्यिक संनिर्माण की अनुज्ञा नहीं होगी:</p> <p>परंतु, स्थानीय लोगों को अपनी आवास सम्बन्धी निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित अपने प्रयोग के लिए, अपनी भूमि में भवन उप-विधियों के अनुसार, संनिर्माण करने की अनुज्ञा होगी।</p> <p>परन्तु गैर-प्रदूषणकारी लघु उद्योगों से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विनियमित किए जाएंगे और वे न्यूनतम होंगे।</p> <p>(ख) एक किलोमीटर क्षेत्र से आगे ये आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे।</p>

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
14.	गैर प्रदूषणकारी लघु उद्योग।	फरवरी, 2016 में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी उद्योगों के वर्गीकरण के अनुसार गैर-प्रदूषणकारी उद्योग तथा अपरिसंकटमय लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, बागवानी या कृषि आधारित उद्योग, जो पारिस्थितिकी संवेदी जोन से देशी सामग्रियों से उत्पाद बनाते हैं, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात होंगे।
15.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन भूमि या सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर वृक्षों की कटाई नहीं होगी। (ख) वृक्षों की कटाई केंद्रीय या संबंधित राज्य के अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी।
16.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
17.	विद्युत और संचार टॉवर लगाने, तार-बिछाने तथा अन्य बुनियादी ढांचे की व्यवस्था।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा (भूमिगत केवल बिछाने को बढ़ावा दिया जाएगा)।
18.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचा।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
19.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना, उन्हें सुदृढ़ बनाना और नई सड़कों का निर्माण।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण उपायों नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देशों के साथ किए जाएंगे।
20.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
21.	रात्रि में वाहन यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होगा।
22.	स्थानीय जनता द्वारा अपनायी जा रही वर्तमान कृषि और बागवानी पद्धतियों के साथ डेयरियां, दुग्ध उत्पादन, जल कृषि और मत्स्य पालन।	स्थानीय जनता के प्रयोग के लिए लागू विधियों के अधीन अनुज्ञात होंगे।
23.	फार्मों, कारपोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना।	स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार विनियमित (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होगा।
24.	प्राकृतिक जल निकायों या भू क्षेत्र में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण।	जल निकायों में उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह के निस्सारण से बचा जाएगा। उपचारित अपशिष्ट जल के पुनर्चक्रण और पुनःउपयोग के प्रयास किए जाएंगे अन्यथा उपचारित अपशिष्ट जल/बहिर्वाह का निस्सारण लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

क्र. सं.	क्रियाकलाप	टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
25.	सतह और भूजल का वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
26.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
27.	पारिस्थितिकी पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
28.	वाणिज्यिक साइन बोर्ड और होर्डिंग्स।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
29.	पारिस्थितिकी पर्यटन की सुविधा जैसे होम स्टे, रोपवे, क्रियोस्क, फनीक्यूल्स आदि।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होगा।
ग.संवर्धित क्रियाकलाप		
30.	वर्षा जल संचय।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
31.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
32.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी का अंगीकरण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	ग्रामीण कारीगरी सहित कुटीर उद्योग, आदि।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	नवीकरणीय ऊर्जा और ईंधन का प्रयोग।	बायोगैस, सौर प्रकाश इत्यादि को सक्रिय बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	बागवानी और वनौषधियों का रोपण।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
37.	पारिस्थितिकी अनुकूल यातायात का प्रयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	अवक्रमित भूमि/वनो/ पर्यावासों की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	पर्यावरण के प्रति जागरूकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	वनस्पति की बाड़।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. पारिस्थितिकी संवेदी जोन अधिसूचना की निगरानी के लिए निगरानी समिति.- प्रभावी निगरानी के लिए प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा, एक निगरानी समिति का इस अधिसूचना के अंतर्गत गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

क्र. सं.	निगरानी समिति का गठन	पद
(i)	मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल सरकार	अध्यक्ष, पदेन;
(ii)	मुख्य वन्यजीव वार्डन, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य;
(iii)	पीसीसीएफ(एचओएफएफ), पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य;
(iv)	राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि	सदस्य;

(v)	राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले गैर-सरकारी संगठन का प्रतिनिधि	सदस्य;
(vi)	राज्य सरकार द्वारा नामित जैव विविधता का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(vii)	राज्य के प्रतिष्ठित संस्थान या विश्वविद्यालय से पारिस्थितिकी का एक विशेषज्ञ	सदस्य;
(viii)	ग्रामीण प्रबंधन विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(ix)	कृषि विभाग के प्रतिनिधि, पश्चिम बंगाल सरकार	सदस्य;
(x)	शहरी विकास और आवास विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिनिधि	सदस्य;
(xi)	संबंधित जिला कलेक्टर	सदस्य;
(xii)	प्रभागीय वन अधिकारी (संरक्षित क्षेत्र के प्रभारी)	सदस्य;
(xiii)	अपर मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव	सदस्य सचिव।

6. विचारार्थ विषय.- (1) निगरानी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन की निगरानी करेगी।

- (2) निगरानी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष तक या राज्य सरकार द्वारा नई समिति का पुनर्गठन किए जाने तक होगा और इसके बाद निगरानी समिति राज्य सरकार द्वारा गठित की जाएगी।
- (3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले और तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल क्रियाकलापों इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन अग्रिम पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- (4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन सारणी में यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों को छोड़कर, भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में शामिल न किए गए परंतु पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले क्रियाकलापों की वास्तविक स्थल- विशिष्ट स्थितियों के आधार पर निगरानी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उन्हें संबंधित विनियामक प्राधिकरणों को भेजा जाएगा।
- (5) निगरानी समिति का सदस्य-सचिव या संबंधित उपायुक्त ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन शिकायत दर्ज करने के लिए सक्षम होगा।
- (6) निगरानी समिति संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों या संबंधित पक्षों को, प्रत्येक मामले में आवश्यकता के अनुसार, अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी।
- (7) निगरानी समिति प्रत्येक वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को, **उपाबंध -V** में दिए गए प्रपत्र के अनुसार, उस वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत करेगी।
- (8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय निगरानी समिति को उसके कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार, अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी।
8. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित किए गए या पारित किए जाने वाले आदेश, यदि कोई हो, के अध्यधीन होंगे।

[फा. सं. 25/36/2016-ईएसजेड-आरई]

डॉ.सतीश चन्द्र गढ़कोटी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन और अभयारण्य की सीमा का विवरण

उत्तरी दिशा में, रूयम और सेतीखोला, रूयम और सीतोंग, ऊपरी घोरमारा और सीतोंग, लाटपंचर और माना वन खण्डों के मध्य सामान्य सीमा है।

कुरसेओंग प्रभाग के सेवोके श्रेणी की पूर्वी सीमा, कलिझोरा और तिस्ता के जंक्शन से तिस्ता नदी के साथ, दक्षिण में लालटोंग खण्ड के दक्षिणी कोण तक फैली हुई है।

महानदी खण्ड के साथ अपने जंक्शन तक सुकना और फंडिंग ब्लॉक की सीमांकित दक्षिणी सीमा, इसके बाद महानदी खण्ड की पश्चिमी एवं दक्षिणी सीमा; इसके बाद 7 माइल फायर लाइन / सड़क के साथ लालटोंग खण्ड की पश्चिमी और दक्षिणी सीमा तक जाती है।


मना झोरा के साथ लाटपंचर और बंदरझोरा वन खंड की पश्चिमी सीमा महानदी नदी के साथ अपने जंक्शन तक जाती है, इसके महानदी नदी के साथ दक्षिण पूर्व दिशा में अपने जंक्शन तक पुन्डिंग वन खण्ड की उत्तरी सीमा तक जाती है और इसके बाद हिल कार्ट रोड के साथ अपने जंक्शन तक सुकना वन खण्ड की उत्तरी सीमा का सीमांकन और इसके बाद हिल कार्ट रोड के साथ सुकना खण्ड की दक्षिणी सीमा के साथ अपने जंक्शन तक पहुँचती है।

उपाबंध-IIक

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का गूगल मानचित्र




पश्चिम बंगाल में महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-IIग


महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भूमि उपयोग को दर्शाने वाला मानचित्र



उपाबंध-IIघ

प्रमुख अवस्थानों के अक्षांश और देशांतर के साथ भारतीय सर्वेक्षण (एस ओ आई) की टोपोशीट पर महानंदा वन्यजीव

अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी का मानचित्र



उपाबंध-III

सारणी क: महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1	88°40403	26°88987
2	88°48068	26°86874
3	88°5317	26°81337
4	88°43229	26°81147
5	88°36254	26°79171
6	88°37466	26°84466

सारणी ख: पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रमुख अवस्थानों के भू-निर्देशांक

क्र. सं.	देशांतर (पू)	अक्षांश (उ)
1a.	88°39966	26°945173
2a.	88°53221	26°88636
3a.	88°58013	26°799968
4a.	88°46994	26°764327
5a.	88°42682	26°749834
6a.	88°31308	26°871864

उपाबंध-IV

भू-निर्देशांकों के साथ महानंदा वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्राम के नाम	भूमि वर्गीकरण	अक्षांश	देशांतर
1	चकुर	राजस्व ग्राम	उ 26°46'26.42"	पू88°28'19.06"
2	प्रकाश नगर	राजस्व ग्राम	उ26°46'6.52"	पू88°26'52.48"
3	सरुगरा	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.92"	पू88°26'47.56"
4	कालाबरी	राजस्व ग्राम	उ26°46'24.0"	पू88°25'19.0"
5	महीसमरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'28.6"	पू88°25'04.5"
6	मलाहार	राजस्व ग्राम	उ 26°44'26.8"	पू88°24'57.3"
7	चमपासरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°44'26.8"	पू88°24'57.3"
8	नुगु वैरागी	राजस्व ग्राम	उ26°45'02.22"	पू88°23'00.4"

9	नुगु बैरागिर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'27.99"	पू88°23'48.98"
10	उत्तर पलाश	राजस्व ग्राम	उ26°46'32.0"	पू88°25'49.9"
11	दमरा गयेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'44.29"	पू88°23'33.54"
12	जदुभितार छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'09.3"	पू88°24'36.0"
13	पुरवा करैबरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'01.7"	पू88°25'02.5"
14	गुलमाखरी	राजस्व ग्राम	उ26°48'04.4"	पू88°24'11.2"
15	कराईबरी	राजस्व ग्राम	उ26°47'13.3"	पू88°25'03.1"
16	दरियाग्राम छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'7.64"	पू88°25'16.69"
17	सिस्साबरी	राजस्व ग्राम	उ26°47'08.2"	पू88°25'39.6"
18	पलाश	राजस्व ग्राम	उ26°46'32.0"	पू88°25'49.9"
19	बोरो अदलपुर	राजस्व ग्राम	उ26°46'37.19"	पू88°20'43.53"
20	खोकलोंग	राजस्व ग्राम	उ26°46'42.91"	पू88°21'11.17"
21	छोटो अदलपुर	राजस्व ग्राम	उ26°47'11.36"	पू88°19'15.26"
22	पहारु	राजस्व ग्राम	उ26°46'53.67"	पू88°20'54.73"
23	खोकलोंग छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'32.22"	पू88°21'13.07"
24	कमला बरिर छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'28.37"	पू88°20'40.44"
25	वार्ड 42	राजस्व ग्राम	उ26°45'31.83"	पू88°26'42.84"
26	निम्बु बस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°45'15.59"	पू88°26'12.31"
27	देवीदंगा	राजस्व ग्राम	उ26°45'57.5"	पू88°25'07.2"
28	दकनीकाटा पी	राजस्व ग्राम	उ26°45'10.2"	पू88°25'01.9"
29	कलकुट पी	राजस्व ग्राम	उ 26°45'41.38"	पू088°25'6.88"
30	चमपासरी	राजस्व ग्राम	उ26°44'26.8"	पू88°24'57.3"
31	वार्ड 46	राजस्व ग्राम	उ26°44'34.76"	पू88°24'47.65"
32	सत्यजीत कॉलोनी	राजस्व ग्राम	उ 26°44'23.14"	पू88°24'34.96"
33	फौटसिंधेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°44'57.11"	पू88°24'19.96"
34	उजनु पी	राजस्व ग्राम	उ26°43'53.6"	पू88°24'17.2"
35	कबी आदम सिंह नगर	राजस्व ग्राम	उ26°44'39.48"	पू88°23'47.94"
36	उत्तरायन टीडब्ल्यूपी	राजस्व ग्राम	उ26°43'21.61"	पू88°23'37.80"
37	दागापुर	राजस्व ग्राम	उ26°45'00.47"	पू88°23'35.48"
38	बारा घरिया	राजस्व ग्राम	उ26°44'50.3"	पू88°23'29.0"
39	गौर चरन	राजस्व ग्राम	उ26°43'57.3"	पू88°22'58.0"
40	घोकला जोटे	राजस्व ग्राम	उ26°44'22.0"	पू88°22'49.6"
41	फथारघाटा	राजस्व ग्राम	उ26°45'38.38"	पू88°22'20.21"
42	धकुरिया	राजस्व ग्राम	उ26°45'20.4"	पू88°22'31.8"
43	गतिगरा	राजस्व ग्राम	उ26°43'23.65"	पू88°23'04.92"
44	बनिया खरी	राजस्व ग्राम	उ26°43'39.1"	पू88°22'56.1"

45	पंचाकुलगुरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'14.4"	पू88°20'42.7"
46	जुगीभिता	राजस्व ग्राम	उ26°44'56.79"	पू88°21'54.76"
47	गुरिया	राजस्व ग्राम	उ26°44'07.9"	पू88°23'08.5"
48	बाटालिगुरी	राजस्व ग्राम	उ26°44'18.55"	पू88°20'5.90"
49	पटानेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'43.76"	पू88°19'30.23"
50	लालसारा छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'44.8"	पू88°20'16.2"
51	धेमल	राजस्व ग्राम	उ26°44'57.73"	पू88°19'32.31"
52	पाटन	राजस्व ग्राम	उ26°45'57.63"	पू88°19'19.59"
53	रुहिनर छट	राजस्व ग्राम	उ26°47'22.83"	पू88°19'00.21"
54	खोपालासी	राजस्व ग्राम	उ26°45'34.7"	पू88°20'24.1"
55	झौगुरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.65"	पू88°21'28.84"
56	झौगुरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'10.2"	पू88°21'02.3"
57	राजपियरी	राजस्व ग्राम	उ26°45'40.9"	पू88°21'13.7"
58	चमटागुरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'58.2"	पू88°22'15.8"
59	चमटा	राजस्व ग्राम	उ26°46'13.89"	पू88°21'27.59"
60	पनचानाई	राजस्व ग्राम	उ26°44'43.87"	पू88°3'54.84"
61	मोहुरगोंग टी जी	चाय बागान	उ26°46'47.8"	पू88°22'19.1"
62	सलबरी छट (2)	राजस्व ग्राम	उ26°45'57.3"	पू88°23'00.4"
63	फुलबरी पटानेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°46'08.78"	पू88°19'20.45"
64	सितोंग वन	वन	उ26°54'55.7"	पू88°24'33.9"
65	सिवोक वन	वन	उ26°52'42.6"	पू88°28'14.4"
66	लटपंचर	वन	उ26°54'41.2"	पू88°24'19.7"
67	सेपोयधुरा	चाय बागान	उ26°50'27.0"	पू88°20'64.0"
68	नोरबोंग	चाय बागान	उ26°51'15.45"	पू88°32'32.18"
69	सिमरिंग टी जी	चाय बागान	उ26°53'25.45"	पू88°21'37.29"
70	टिंधरिया टी.जी	चाय बागान	उ26°51'17.66"	पू88°20'44.85"
71	रेंटोंग	राजस्व ग्राम	उ26°50'10.51"	पू88°20'33.15"
72	बौनी भीतार छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'44.94"	पू88°18'44.60"
73	फुलबरी छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'21.06"	पू88°19'02.45"
74	खपरैल	राजस्व ग्राम	उ26°45'36.18"	पू88°20'14.51"
75	पाटन झनेर छट	राजस्व ग्राम	उ26°45'05.24"	पू88°19'03.20"
76	पैरकुमारी	चाय बागान	उ26°46'31.30"	पू88°20'09.02"
77	सप्तागिरि खेलघर टी.जी	चाय बागान	उ26°44'14.10"	पू88°25'47.17"
78	सिमुलबरी टी. जी	चाय बागान	उ26°47'33.49"	पू88°18'33.67"
79	राकी वन	वन	उ26°47'48.61"	पू88°17'28.03"
80	बमोनपोखरी वन	वन	उ 26°48'56.87"	पू88°16'48.75"

81	लामा गुम्बा वन	वन	उ26°49'8.98"	पू88°18'42.11"
82	रोहिनी टी. जी	चाय बागान	उ26°50'22.23"	पू88°17'23.70"
83	सेलीम हील टी. जी	चाय बागान	उ26°50'23.53"	पू88°19'8.66"
84	लिज़ैपुर टी. जी	चाय बागान	उ26°52'20.47"	पू88°19'52.37"
85	गयावरी टी. जी	चाय बागान	उ26°51'38.04"	पू88°19'34.90"
86	महल दिराम टी. जी	चाय बागान	उ26°54'49.82"	पू88°21'2.33"
87	तोरयाक खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'04.1"	पू88°20'53.8"
88	सेलपु खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'09.0"	पू88°23'55.3"
89	बरासित टोंग खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'10.8"	पू88°22'59.5"
90	रोलक खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'59.0"	पू88°24'14.5"
91	रोंगचोंग खसमहल	राजस्व ग्राम	उ26°58'2.24"	पू88°25'4.18"
92	कनदुंग वन बस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°56'31.12"	पू88°25'52.0"
93	गुलिंग वन	राजस्व ग्राम	उ26°57'22.1"	पू88°27'01.6"
94	यंग मुकुम खासमहल	राजस्व ग्राम	उ26°56'08.4"	पू88°29'14.5"
95	पश्चिम टोटगांव	राजस्व ग्राम	उ26°50'26.4"	पू88°31'28.4"
96	पुरब टोटगांव	राजस्व ग्राम	उ26°50'30.9"	पू88°31'31.7"
97	एलेनबुरी टी.जी	चाय बागान	उ26°51'33.2"	पू88°32'08.5"
98	सुंदरी बस्ती	राजस्व ग्राम	उ26°51'17.9"	पू88°31'34.6"
99	कलागैटी टी.जी.	चाय बागान	उ26°51'14.5"	पू88°32'45.4"
100	सौगांव टी.जी	चाय बागान	उ26°51'05.0"	पू88°35'13.9"
101	सौगांव	राजस्व ग्राम	उ26°49'42.9"	पू88°33'52.8"

उपाबंध-V**की गई कार्रवाई सम्बन्धी रिपोर्ट का प्रपत्र:**

1. बैठकों की संख्या और तारीख ।
2. बैठकों का कार्यवृत्त : (कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक उपाबंध में प्रस्तुत करें) ।
3. पर्यटन महायोजना सहित आंचलिक महायोजना की तैयारी की स्थिति ।
4. भू-अभिलेखों की स्पष्ट त्रुटियों के सुधार के लिए निबटाए गए मामलों का सार (पारिस्थितिकी-संवेदी जोन वार) । विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न करें।
5. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार।(विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
6. पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों से संबंधित संवीक्षा किए गए मामलों का सार । (विवरण एक पृथक उपाबंध के रूप में संलग्न करें)।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सार ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण मामला ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th December, 2019

S.O. 4442(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110 003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, Mahananda Wildlife Sanctuary is situated in Darjeeling and Jalpaiguri districts of West Bengal which are characterized by forest and riverine ecosystem adjoin with tea gardens and villages with diverse ethnicities. The Sanctuary has an area of 161.17 sq. km. harbouring species of gaurs (*Bos gaurus*) and also acting as a corridor for sustaining population of wild elephants in North Bengal in between Teesta and Mechi River;

AND WHEREAS, Mahananda Wildlife Sanctuary is characterised by elephant migration route. In monsoons and winter, variety of migratory elephant takes shelters and royal Bengal tiger was also reported from the Sanctuary. The area is also famous for gaur, chital (spotted deer), barking deer, boar, pangolin, sambar, Rhesus monkey, Himalayan black bear, many species of lesser cat like fishing cat and jungle cat, Himalayan black bear, leopard including clouded leopard, and many other smaller animals like rare mountain goat (Serow), etc.;

AND WHEREAS, the important flora of the Wildlife Sanctuary are *Acacia auriculiformis* (akashmoni), *Albizzia falcataria* (sirish), *Acrocarpus fraxinifolius* (mandane), *Adina cordifolia* (haldu), *Alianthus exelsa* (mahaneem), *Azadiracta indica* (neem), *Anthocephalus cadamba* (kadam), *Artocarpus chaplasha* (chaplasa/Ban kathal), *Amoora rehituka* (lahasune), *Bischofia javanica* (kainjal/urium), *Bombax ceiba* (simul), *Betula cylindrostachya* (birch/aule saur), *Careya arborea* (kumbhi), *Delbergia latifolia* (setisal / satsayer), *Erythrina arborescens* (phaledo), *Elaeocarpus sphaericus* (rudrakha), *Sesbania grandiflora* (bak phul), *Shorea robusta* (sal, sakhua), *Swietenia febrifuga* (cloroti), *Tetradium fraxinifolium* (khanakpa), *Toona ciliata* (tuni/tun), *Talaume hodgsomi* (bhalu kath), *Ulmus lancifolia* (pipli – aule), *Vabernun erubescens* (asharay), *Walsura tabulata* (falamay), *Xylia dolabriformis* (lohakat), *Zizyphus mauritiana* (kul), etc.;

AND WHEREAS, the major fauna of the Wildlife Sanctuary includes mammals such as Sikkim large-clawed shrew (*Soriculus migrescens migrescens* Gray), Hodgson's brown-toothed shrew (*Sirucykys caudatus caudatus* Horsefield), Indian long-tailed shrew (*Soriculus leusops* Horsefield), Himalayan water shrew (*Chimmarogale platycephala himalayical* Grey), fulvour fruit bat (*Rousettus leschensultii leschenaultia*), demares flying fox (*Pteropus giganteus*), Dobson's tube nosed bat (*Murina cyclotis cyclotis*; Dobson), Himalayan hairy-winged bat (*Harioocephalus harpia lasyuras*; Hodgson), Assamese macaque (*Maeaea assamensis pelops*; Hodgson), Rhesus monkey (*Macaea mulata*), small Indian civet (*Viverricula indica*), toddy cat (*Paradosurus hermaphrodites*), barking deer (*Muntiaeus muntjak vaginalis*; Boddaert), tiger (*Panthera tigris*), leopard (*Panthera pardus*), gaur (*Ribos frontatis gaurus*), Himalayan black bear (*Selenarctos thibetanus*), common otter (*Lutra lutra*), Elephant (*Elephas indicus*), spotted deer (*Axis axis axis*; Erleben), sambar (*Rusa unicolor*), serow (*Copricornis sumatraensis thar*, Hodgson), pig (*Sus scrofa*; Linnaeus), pangolin (*Manis pentadactyla*; Linnaeus), Indian or black naped hare (*Lepus nigricollis ruficaudatus*; Geoffroy), lesser goant flying squirrel (*Petaurista elegans caniceps*; Gray), etc.;

AND WHEREAS, the bird species recorded from the Sanctuary are black-arrested baza (*Avideda leuphotes syama*), watern coashawk (*Accipiter badius scheidowl*), besta sparrow hawk (*Accipiter virgatus affinis*), Himalayan hawk-eagle (*Spisetus nipalensis nipalensis*), block or king vulture (*Torgos calvus*), Himalayan falconet (*Nicrohiera-x caerulescens caerulescens*), Himalayan kestrel (*Falco tinnunculus interstinctus*), blossom-headed parakeet (*Psittacula cynocephala Bangalensis*), Hodgson's hawk-cuckoo (*Cuculus fagax niscolor*), Himalayan cuckoo (*Cuculus saturatus saturates*), tawny fish owl (*Bubo flavipe*), collard pigmy owlet (*Glaucidium brodiei brodiei*), Himalayan bred owlet (*Glacidium cuculoides cuculoides*), Himalayan brown wood owl (*Srtix leptogra newarensis*), Himalayan jungle nightjar (*Caprimulgus indicus hazarac*), broad-villed roller (*Ebrustomus orientalis cyanicollis*), white-breasted kingfisher (*Halcyon smynensis smrnensis*), blue naped pitta (*Pitta nipalensis*), green breasted pitta (*Pitta sordica cuculata*), rufous short-toed (*Calandrella cinerea dukhunesis*), Sikkim long-tailed minivet (*Pericrocotus etholoous latetus*), scarlet minivet (*Pericrocutus flammeus speciosus*), brown backed pied flycatcher shrike (*Hemipus picatus capitalis*), black crested yellow bulbul (*Pycnotus melancicterus flaviventris*), brown dipper (*Cinclus pallasii tenuirostris*), rusty bellied shortwing

(*Branchuetyerz hyperythrea*), Nepal shortwing (*Brechpteryx leucophrys nipalensis*), purple thrush (*Cochoa purporea*), green thrush (*Cochoa viridis*), Assam red-fronted babbler (*Stachyris rufifrons ambigua*), red-headed babbler (*Stachyris ruficeps ruficeps*), rufous bellied nillava (*Niltava sundara sundara*), pale blue flycatcher (*Niltava unicolor unicolor*), blue throated flycatcher (*Niltava rubeculoides rubeculoides*), etc.;

AND WHEREAS, Mahananda Wildlife Sanctuary is also a home for a large number of colourful feathered species including endangered species like fairy-bluebird and Himalayan pied hornbill. For effective conservation and protection of the floral and faunal biodiversity of Mahananda Wildlife Sanctuary, the extent of different anthropogenic pressures has to be regulated as the immediate area adjoining this fragile ecosystem is much ecologically sensitive having great impact on this protected area.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area, the extent and boundaries of Mahananda Wildlife Sanctuary which are specified in paragraph 1 as Eco-sensitive Zone from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of Section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) (hereafter in this notification referred to as the Environment Act) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent of 5 kilometres uniform around the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary, in Darjeeling and Jalpaiguri districts in the State of West Bengal as the Eco-sensitive Zone (hereafter in this notification referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely: -

- 1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.** – (1) The Eco-sensitive Zone shall be to an extent of 5 kilometres uniform around the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary and the area of the Eco-sensitive Zone is 405.28 square kilometres.
 - (2) The boundary description of Mahananda Wildlife Sanctuary and its Eco-sensitive Zone is appended in **Annexure-I**.
 - (3) The maps of the Mahananda Wildlife Sanctuary demarcating Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes are appended as **Annexure-IIA, Annexure-IIB, Annexure-IIC** and **Annexure-IID**.
 - (4) List of geo-coordinates of the boundary of Mahananda Wildlife Sanctuary and Eco-sensitive Zone are given in Table **A** and Table **B** of **Annexure III**.
 - (5) The list of villages falling in the proposed Eco-sensitive Zone along with their geo co-ordinates at prominent points is appended as **Annexure-IV**.
- 2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.-** (1) The State Government shall, for the purposes of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of the competent authority of State.
 - (2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.
 - (3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following Departments of the State Government, for integrating the ecological and environmental considerations into the said plan:-
 - (i) Forest;
 - (ii) Environment and Wildlife Management;
 - (iii) Agriculture;
 - (iv) Revenue;
 - (v) Urban Housing Development;
 - (vi) Tourism;
 - (vii) Rural Development;
 - (viii) Irrigation and Flood Control;
 - (ix) Municipal;
 - (x) Panchayati Raj;
 - (xi) Public Works Department;
 - (xii) West Bengal Police;

- (xiii) Rural Management and Development; and
- (xiv) Disaster Management.

- (4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.
- (5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.
- (6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps giving details of existing and proposed land use features.
- (7) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for security of local communities' livelihood.
- (8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
- (9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. Measures to be taken by the State Government.- The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

- (1) **Land use.**— (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or residential or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other than that specified at part (a) above, within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of Central Government or State Government as applicable and *vide* provisions of this Notification, to meet the residential needs of the local residents and for activities such as:-

- (i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
- (ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
- (iii) small scale industries not causing pollution;
- (iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay;
- (v) Eco-tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc;
- (vi) Security Forces Camp; and
- (vii) promoted activities given under paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under Regional Town Planning Act and other rules and regulations of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

- (b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat restoration activities.

- (2) **Natural water bodies.**-The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.
- (3) **Tourism or Eco-tourism.**- (a) All new eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
- (b) The Eco-Tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
- (c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
- (d) The Tourism Master Plan shall be drawn based on the study of carrying capacity of the Eco-sensitive Zone.
- (e) The activities of eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
- (i) new construction of hotels and resorts shall not be allowed within one kilometre from the boundary of the protected area or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer:
- Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan;
- (ii) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development;
- (iii) until the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee and no new hotel, resort or commercial establishment construction shall be permitted within Eco-sensitive Zone area.
- (4) **Natural heritage.**- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.
- (5) **Man-made heritage sites.**- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be identified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part of the Zonal Master Plan.
- (6) **Noise pollution.** - Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be complied in accordance with the provisions of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 under the Environment Act.
- (7) **Air pollution.**- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be compiled in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.
- (8) **Discharge of effluents.**- Discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environment Act and the rules made thereunder or standards stipulated by State Government whichever is more stringent.
- (9) **Solid wastes.**- Disposal and Management of solid wastes shall be as under:-
- (a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016; the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b) safe and Environmentally Sound Management (ESM) of Solid wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-Medical Waste.— Bio Medical Waste Management shall be as under:-

(a) the Bio-Medical Waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management, Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b) safe and Environmentally Sound Management of Bio-Medical Wastes in conformity with the existing rules and regulations using identified technologies may be allowed within the Eco-sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.— The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016, as amended from time to time.

(12) Construction and demolition waste management.— The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change *vide* notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016, as amended from time to time.

(13) E-waste.— The e - waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the E-Waste Management Rules, 2016, published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, as amended from time to time.

(14) Vehicular traffic.— The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.— Prevention and control of vehicular pollution shall be in compliance with applicable laws and efforts shall be made for use of cleaner fuels.

(16) Industrial units.— (i) On or after the publication of this notification in the Official Gazette, no new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) Only non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per the classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless so specified in this notification, and in addition, the non-polluting cottage industries shall be promoted.

(17) Protection of hill slopes.— The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;

(b) construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall not be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.— All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment Act and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone, 2011 and the Environmental Impact Assessment Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units are prohibited with immediate effect except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		<p>construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing and for other activities;</p> <p>(b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.</p>
2.	Setting of industries causing pollution (Water, Air, Soil, Noise, etc.).	<p>New industries and expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall not be permitted:</p> <p>Provided that non-polluting industries shall be allowed within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification and in addition the non-polluting cottage industries shall be promoted.</p>
3.	Establishment of major hydro-electric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
6.	Setting up of new saw mills.	New or expansion of existing saw mills shall not be permitted within the Eco-sensitive Zone.
7.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
8.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the sanctuary area by hot-air balloons, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
10.	Introduction of exotic species.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
11.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per the applicable laws.
B. Regulated Activities		
12.	Commercial establishment of hotels and resorts.	<p>No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities:</p> <p>Provided that, beyond one kilometer from the boundary of the protected area or upto the extent of Eco-sensitive Zone whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.</p>
13.	Construction activities.	(a) New commercial construction of any kind shall not be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area or upto extent of the Eco-sensitive Zone,

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
		<p>whichever is nearer:</p> <p>Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities mentioned in sub-paragraph (1) of paragraph 3 as per building bye-laws to meet the residential needs of the local residents.</p> <p>Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any.</p> <p>(b) Beyond one kilometer it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.</p>
14.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone shall be permitted by the competent Authority.
15.	Felling of trees.	<p>(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government.</p> <p>(b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder.</p>
16.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest produce.	Regulated as per the applicable laws.
17.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures.	Regulated under applicable laws (underground cabling may be promoted).
18.	Infrastructure including civic amenities.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulations available guidelines.
19.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Taking measures of mitigation as per the applicable laws, rules and regulation and available guidelines.
20.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated as per the applicable laws.
21.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
22.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted as per the applicable laws for use of locals.
23.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, corporate and companies.	Regulated (except otherwise provided) as per the applicable laws except for meeting local needs.
24.	Discharge of treated waste water or effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water or effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water. Otherwise the discharge of treated waste water or effluent shall be regulated as per the applicable laws.

S. No. (1)	Activity (2)	Description (3)
25.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated as per the applicable laws.
26.	Solid waste management.	Regulated as per the applicable laws.
27.	Eco-tourism.	Regulated as per the applicable laws.
28.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated as per the applicable laws.
29.	Eco tourism facilities like home stays, ropeways, kiosks, funiculars, etc.	Regulated as per the applicable laws.
C. Promoted Activities		
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy and fuels.	Bio-gas, solar light etc. shall be actively promoted.
35.	Agro-Forestry.	Shall be actively promoted.
36.	Plantation of Horticulture and Herbals.	Shall be actively promoted.
37.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
38.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
39.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
40.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.
41.	Vegetative fencing.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee for Monitoring the Eco-sensitive Zone Notification.- For effective monitoring of the provisions of this notification under sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986, the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, comprising of the following, namely:-

Sl. No.	Constituent of the Monitoring Committee	Designation
(i)	Chief Secretary, Government of West Bengal	Chairman, ex officio
(ii)	Chief wildlife Warden, Government of West Bengal	Member;
(iii)	PCCF (HoFF), Government of West Bengal	Member;
(iv)	Representative of State Pollution Control Board	Member;
(v)	A representative of Non-governmental Organisation working in the field of wildlife conservation to be nominated by the State Government	Member;
(vi)	An expert in Biodiversity nominated by the State Government	Member;
(vii)	One expert in Ecology from reputed institution or university of the State	Member;
(viii)	Representative of Rural Management Department, Government of West Bengal	Member;
(ix)	Representative of Agriculture Department, Government of West Bengal	Member;
(x)	Representative of Urban Development and Housing Department, government of West Bengal	Member;

(xi)	Concerned District Collector	Member;
(xii)	Divisional Forest Officer (In-charge of protected area)	Member;
(xiii)	Addl. Chief Conservator of Forest, Wildlife	Member-Secretary.

6. Terms of reference. – (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

- (2) The tenure of the Monitoring committee shall be for three years or till the re-constitution of the new Committee by the State Government and subsequently the Monitoring Committee shall be constituted by the State Government.
- (3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.
- (4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.
- (5) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Deputy Commissioner(s) shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment Act, against any person who contravenes the provisions of this notification.
- (6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.
- (7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on the 31st March of every year by the 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden in the State as per proforma appended at Annexure V.
- (8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any passed or to be passed by the Hon'ble Supreme Court of India or High Court or the National Green Tribunal.

[F. No. 25/36/2016-ESZ-RE]

Dr. SATISH C. GARKOTI, Scientist 'G'

ANNEXURE- I

BOUNDARY DESCRIPTION OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY AND ECO-SENSITIVE ZONE OF THE SANCTUARY

In the Northern side, there is common boundary between Ruyem and Setikhola, Ruyem and Sittong, Upper Ghoramara and Sittong, Latpancher and Mana forest blocks.


The eastern boundary of Sevoke Range of Kurseong division, along the Tista River from the junction of Kalijhora and Tista, southwards extending upto the southern corner of Laltong block.

The demarcated Southern boundary of Sukna and Funding blocks up to its junction with Mahanadi block, then following the western & southern boundaries of Mahanadi block; then along the western and southern boundary of Laltong Block along 7th Mile Fire line / Road.

The western boundary of Latpancher and Bandarjhora forest block along the Mana jhora upto its junction with the Mahanadi river, then along the Mahanadi river in a south easterly direction upto its junction with the northern boundary of Punding forest block and then along the demarcated northern boundary of Sukna forest block upto its junction with Hill Cart Road and then along the Hill Cart Road upto its junction with southern boundary of Sukna block.


ANNEXURE- IIA

GOOGLE MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS




ANNEXURE-IIB

MAP SHOWING ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY IN WEST BENGAL




ANNEXURE- IIC

MAP SHOWING LANDUSE PATTERN OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY



ANNEXURE- IID

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY ALONG WITH LATITUDE AND LONGITUDE OF PROMINENT LOCATIONS ON SURVEY OF INDIA (SOI) TOPOSHEET



ANNEXURE-III

TABLE A: GEO- COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF MAHANANDA WILDLIFE SANCTUARY

Sl. No.	Longitude (E)	Latitude (N)
1	88°40403	26°88987
2	88°48068	26°86874

3	88°5317	26°81337
4	88°43229	26°81147
5	88°36254	26°79171
6	88°37466	26°84466

TABLE B: GEO-COORDINATES OF PROMINENT LOCATIONS OF ECO-SENSITIVE ZONE

Sl. No.	Longitude (E)	Latitude (N)
1a.	88°39966	26°945173
2a.	88°53221	26°88636
3a.	88°58013	26°799968
4a.	88°46994	26°764327
5a.	88°42682	26°749834
6a.	88°31308	26°871864

ANNEXURE-IV**LIST OF VILLAGES COMING UNDER ECO-SENSITIVE ZONE OF MAHANANDA WILDLIFE
SANCTUARY ALONG WITH GEO-COORDINATES**

Sl No.	Name of the Vill.	Land Classification	Latitude	Longitude
1	Chakur	Rev. Village	N 26°46'26.42"	E88°28'19.06"
2	Prakash Nagar	Rev. Village	N26°46'6.52"	E88°26'52.48"
3	Sarugara	Rev. Village	N26°45'58.92"	E88°26'47.56"
4	Kalabari	Rev. Village	N26°46'24.0"	E88°25'19.0"
5	Mahismari	Rev. Village	N26°45'28.6"	E88°25'04.5"
6	Malahar	Rev. Village	N 26°44'26.8"	E88°24'57.3"
7	Champasari Chhat	Rev. Village	N26°44'26.8"	E88°24'57.3"
8	Nunu Bairagi	Rev. Village	N26°45'02.22"	E88°23'00.4"
9	Nunu Bairagir Chhat	Rev. Village	N26°45'27.99"	E88°23'48.98"
10	Uttar Palash	Rev. Village	N26°46'32.0"	E88°25'49.9"
11	Damra Gayer Chhat	Rev. Village	N26°45'44.29"	E88°23'33.54"
12	Jadubhitar Chhat	Rev. Village	N26°47'09.3"	E88°24'36.0"
13	Purba Karaibari Chhat	Rev. Village	N26°47'01.7"	E88°25'02.5"
14	Gulmakhari	Rev. Village	N26°48'04.4"	E88°24'11.2"
15	Karaibari	Rev. Village	N26°47'13.3"	E88°25'03.1"
16	Dariagram Chhat	Rev. Village	N26°47'7.64"	E88°25'16.69"
17	Sissabari	Rev. Village	N26°47'08.2"	E88°25'39.6"
18	Palash	Rev. Village	N26°46'32.0"	E88°25'49.9"
19	Boro Adalpur	Rev. Village	N26°46'37.19"	E88°20'43.53"
20	Khoklong	Rev. Village	N26°46'42.91"	E88°21'11.17"
21	Chhoto Adalpur	Rev. Village	N26°47'11.36"	E88°19'15.26"

22	Paharu	Rev. Village	N26°46'53.67"	E88°20'54.73"
23	Khoklong Chhat	Rev. Village	N26°46'32.22"	E88°21'13.07"
24	Kamala Barir Chhat	Rev. Village	N26°46'28.37"	E88°20'40.44"
25	Word 42	Rev. Village	N26°45'31.83"	E88°26'42.84"
26	Nimbu Basti	Rev. Village	N26°45'15.59"	E88°26'12.31"
27	Devidanga	Rev. Village	N26°45'57.5"	E88°25'07.2"
28	Daknikata P	Rev. Village	N26°45'10.2"	E88°25'01.9"
29	Kalkut P	Rev. Village	N 26°45'41.38"	E088°25'6.88"
30	Champasari	Rev. Village	N26°44'26.8"	E88°24'57.3"
31	Ward 46	Rev. Village	N26°44'34.76"	E88°24'47.65"
32	Satyajit Colony	Rev. Village	N 26°44'23.14"	E88°24'34.96"
33	Foutsingher Chhat	Rev. Village	N26°44'57.11"	E88°24'19.96"
34	Ujanu P	Rev. Village	N26°43'53.6"	E88°24'17.2"
35	Kabi Adam Singh Nagar	Rev. Village	N26°44'39.48"	E88°23'47.94"
36	Uttarayan TWP	Rev. Village	N26°43'21.61"	E88°23'37.80"
37	Dagapur	Rev. Village	N26°45'00.47"	E88°23'35.48"
38	Bara Gharia	Rev. Village	N26°44'50.3"	E88°23'29.0"
39	Gaur Charan	Rev. Village	N26°43'57.3"	E88°22'58.0"
40	Ghokla Jote	Rev. Village	N26°44'22.0"	E88°22'49.6"
41	Patharghata	Rev. Village	N26°45'38.38"	E88°22'20.21"
42	Dhakuria	Rev. Village	N26°45'20.4"	E88°22'31.8"
43	Gatigara	Rev. Village	N26°43'23.65"	E88°23'04.92"
44	Bania Khari	Rev. Village	N26°43'39.1"	E88°22'56.1"
45	Panchakulguri	Rev. Village	N26°45'14.4"	E88°20'42.7"
46	Jugibhita	Rev. Village	N26°44'56.79"	E88°21'54.76"
47	Guria	Rev. Village	N26°44'07.9"	E88°23'08.5"
48	Bataliguri	Rev. Village	N26°44'18.55"	E88°20'5.90"
49	Pataner Chhat	Rev. Village	N26°45'43.76"	E88°19'30.23"
50	Lalsara Chhat	Rev. Village	N26°46'44.8"	E88°20'16.2"
51	Dhemal	Rev. Village	N26°44'57.73"	E88°19'32.31"
52	Patan	Rev. Village	N26°45'57.63"	E88°19'19.59"
53	Ruhinir Chhat	Rev. Village	N26°47'22.83"	E88°19'00.21"
54	Khopalasi	Rev. Village	N26°45'34.7"	E88°20'24.1"
55	Jhouguri	Rev. Village	N26°45'58.65"	E88°21'28.84"
56	Jhauguri Chhat	Rev. Village	N26°46'10.2"	E88°21'02.3"
57	Rajpiari	Rev. Village	N26°45'40.9"	E88°21'13.7"
58	Chamtaguri Chhat	Rev. Village	N26°45'58.2"	E88°22'15.8"
59	Chamta	Rev. Village	N26°46'13.89"	E88°21'27.59"
60	Panchanai	Rev. Village	N26°44'43.87"	E88°3'54.84"
61	Mohurgong TG	Tea Garden	N26°46'47.8"	E88°22'19.1"

62	Salbari Chhat(2nd)	Rev. Village	N26°45'57.3"	E88°23'00.4"
63	Fulbari Pataner Chhat	Rev. Village	N26°46'08.78"	E88°19'20.45"
64	Sitong Forest	Forest	N26°54'55.7"	E88°24'33.9"
65	Sivoke Forest	Forest	N26°52'42.6"	E88°28'14.4"
66	Latpanchar	Forest	N26°54'41.2"	E88°24'19.7"
67	Sepoydhura	Tea Garden	N26°50'27.0"	E88°20'64.0"
68	Norbong	Tea Garden	N26°51'15.45"	E88°32'32.18"
69	Simring TG	Tea Garden	N26°53'25.45"	E88°21'37.29"
70	Tindharia T.G	Tea Garden	N26°51'17.66"	E88°20'44.85"
71	Rhontong	Rev. Village	N26°50'10.51"	E88°20'33.15"
72	Bauni Bhitari Chhat	Rev. Village	N26°45'44.94"	E88°18'44.60"
73	Fulbari Chhat	Rev. Village	N26°45'21.06"	E88°19'02.45"
74	Khaprail	Rev. Village	N26°45'36.18"	E88°20'14.51"
75	Patan Jhaner Chhat	Rev. Village	N26°45'05.24"	E88°19'03.20"
76	Pairkumari	Tea garden	N26°46'31.30"	E88°20'09.02"
77	Saptagiri Khelaghar T.G	Tea garden	N26°44'14.10"	E88°25'47.17"
78	Simulbari T.G	Tea garden	N26°47'33.49"	E88°18'33.67"
79	Raki Forest	Forest	N26°47'48.61"	E88°17'28.03"
80	Bamonpokhri Forest	Forest	N 26°48'56.87"	E88°16'48.75"
81	Lama Gumba Forest	Forest	N26°49'8.98"	E88°18'42.11"
82	Rohini T.G	Tea Garden	N26°50'22.23"	E88°17'23.70"
83	Selim hill T.G	Tea Garden	N26°50'23.53"	E88°19'8.66"
84	Lizziepur T.G	Tea Garden	N26°52'20.47"	E88°19'52.37"
85	Gayabari T.G	Tea Garden	N26°51'38.04"	E88°19'34.90"
86	Mahal Diram T.G	Tea Garden	N26°54'49.82"	E88°21'2.33"
87	Toryak Khasmahal	Rev. Village	N26°56'04.1"	E88°20'53.8"
88	Selpu Khasmahal	Rev. Village	N26°56'09.0"	E88°23'55.3"
89	Barasit Tong Khasmahal	Rev. Village	N26°56'10.8"	E88°22'59.5"
90	Rolak Khasmahal	Rev. Village	N26°56'59.0"	E88°24'14.5"
91	Rongchong Khasmahal	Rev. Village	N26°58'2.24"	E88°25'4.18"
92	Kandung Forest Basti	Rev. Village	N26°56'31.12"	E88°25'52.0"
93	Gulling Forest	Rev. Village	N26°57'22.1"	E88°27'01.6"
94	Yang Mukum Khasmahal	Rev. Village	N26°56'08.4"	E88°29'14.5"
95	Paschim Totgaon	Rev. Village	N26°50'26.4"	E88°31'28.4"
96	Purba Totgaon	Rev. Village	N26°50'30.9"	E88°31'31.7"
97	Ellenburry T.G	Tea garden	N26°51'33.2"	E88°32'08.5"
98	Sunderi Basti	Rev. Village	N26°51'17.9"	E88°31'34.6"
99	Kalagaity T.G.	Tea Garden	N26°51'14.5"	E88°32'45.4"
100	Saogaon T.G	Tea Garden	N26°51'05.0"	E88°35'13.9"
101	Saogaon	Rev. Village	N26°49'42.9"	E88°33'52.8"

ANNEXURE –V**Performa of Action Taken Report:**

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: (mention noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure).
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt with rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise). Details may be attached as Annexure.
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (Details may be attached as separate Annexure).
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.